रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 294] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 1975/श्रावण 13, 1897

No. 294] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 1975/SRAVANA 13, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August 1975

S.O. 418 (E).—Whereas the Government of India in the Ministry of Home Affairs by its Order No. II/16013/5/75-S&P (D.II), dated 3 July, 1975 published as S.O. 304(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 (ii) dated 3 July, 1975, has directed that sub-rule (1) of Rule 33 of the Defence & Internal Security of India Rules, 1971 shall apply to the Organisation with the name and style 'Proutist Block of India';

And whereas in pursuance of the above direction the Election Commission has decided to delete the name of the Proutist Block of India from the list of registered unrecognised political parties for so long as the above direction remains in force;

Now, therefore in pursuance of clause (c) of sub-paragraph (1) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendments to its notification No. 56/75-II, dated 1 February, 1975, published as S.O. 68 (E) in the Gagette of India. Extraordinary, Part II Section 3(ii), dated 1 February, 1975 and as amended from time to time, namely:—

In the Table appended to the said notification—

(i) the entry at serial No. 28 relating to Proutist Block India shall be deleted, and

(ii) the entries at serial Nos. 29 to 47 shall be renumbered as 28 to 46.

[No. 56/75-VIII]

By order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1975

का० आ० 418(अ).—भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(ii), तारीख 3 जुलाई, 1975 में का० आ० 304 (अ) के रूप में प्रकाशित अपने आदेश सं० II/16013/5/75-एस० एण्ड पी० (डी II), तारीख 3 जुलाई, 1975 द्वारा यह निदेश दिया है कि भारतीय रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 33क उप-नियम (1) 'भारतीय प्राउटिस्ट ब्लाक' नाम तथा अभिनाम वाले संगठन को भी लागू होगा ;

और उपर्युक्त निदेश के अनुपालन में निर्वाचन आयोग ने यह विनिश्चय किया है कि भारतीय प्राउटिस्ट ब्लाक के नाम का विलोपन रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सूची में से उस समय तक के लिए किया जाए जब तक उपर्युक्त निदेश प्रवृत्त रहता है ;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खण्ड 3 (ii), तारीख 1 फरवरी, 1975 में का० आ० 68(अ) के रूप में प्रकाशित तथा समय समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 56/75-II तारीख 1 फरवरी, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में—

(1) क्रम संख्या 28 पर भारतीय प्राउटिस्ट ब्लाक से सम्बन्धित प्रविष्टि का विलोपन किया जाएगा; तथा

(2) क्रम संख्या 29 से 47 की प्रविष्टियों को 28 से 46 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ।

[सं० 56/75-VIII]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975